कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

6/4/26 आगे. मार्फे. इप. / आगीपुबता सतु. की ओर से जारिये गाधीवता दावती गाजी का पुनर्फेरा पत्र पेश हुआ तो केवल साक्ष के लिए स्वीकार किया जाता है/ साक्ष सामीजोजन से जवाह कोई उपस्थित नहीं है/ शेष समान जवाहान को O/W 1100/- से तस्दीक किया जावे/ O/W पर लोक स्पाही से नोट अंकित हो/ आगे. गाधी. को इत्तला दी जावे/ आगे. गाधी. शेष जवाहान को अपने स्तर पर पेश करने का मौ प्रमाल करे/ पत्रावली बाबते साक्ष सामीजोजन दिनांक 7/4/26 को पेश हो/

अधि. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2
(विशिष्ठ न्यायालय) जविप्रा.
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर